इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त 2026–श्रावण 16, शक 1948

विषय–सूची

भाग 1.–(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक–भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.– स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.– (1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.– (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम. (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 1

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2026

क्र.ई–5–1070–आईएएस–लीव–5–एक.–श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे (2010), आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना का दिनांक 17 अगस्त से 03 सितम्बर 2026 तक अठारह दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 15,16 अगस्त 2026 एवं 04,05,06 सितम्बर 2026 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए, उक्त अवधि में से उन्हें दिनांक 16 अगस्त से 06 सितम्बर 2026 तक बाईस दिवस के एक्स–इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे (2010), आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, भाप्रसे (2014), कलेक्टर, जिला मुरैना को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ–साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे, द्वारा आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होगें.

(5) अवकाशकाल में श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(7) यदि श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2026

क्रमांक/FOR/2/0004/2022-sec-2-10:: यतः, मध्यप्रदेश शासन वन क्षेत्रों में वन भूमि तथा वन-आधारित संसाधनों के साथ-साथ राज्य के संरक्षित एवं आरक्षित वन क्षेत्रों में वन्यजीवों की संवेदनशीलता के प्रति सजग है, उनके संरक्षण, सुरक्षा एवं अस्तित्व पर निरंतर बढ़ते खतरों को देखते हुए राज्य के वन कार्मिकों को आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित किए जाने का निर्णय लिया गया है;

और यतः, मध्यप्रदेश शासन इस बात से भी अवगत है कि वन कार्मिको द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के पालन में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करने के कारण उनके विरुद्ध अनावश्यक अथवा दुर्भावनापूर्ण आपराधिक कार्यवाहियाँ प्रारंभ किए जाने की संभावना रहती है तथा उन्हें पूर्व स्वीकृति के बिना अभियोजन से संरक्षण प्रदान किया जाना जरूरी है।

अतएव, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए W.P. (C) क्र. 2 सन् 2026 में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त अन्य सभी सक्षम उपबंधों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निर्देश देती हैं, कि,–

(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 218 की उपधारा (2) के अधीन अंतर्विष्ट उपबंध राज्य के सभी वनरक्षकों, वनपालों, उप वन क्षेत्रपालों, वन क्षेत्रपालों, सहायक वन संरक्षकों, उप वनमण्डल अधिकारियों, उप वन संरक्षकों, उप संचालकों, वनमण्डल अधिकारियों, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों, क्षेत्र संचालकों तथा राज्य के अन्य ऐसे सभी वन अधिकारियों पर लागू होंगे, जिन्हें वन एवं वन्यजीव संरक्षण, संवर्धन तथा प्रबंधन से संबंधित लोक व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है।

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित किसी भी वन कार्मिक द्वारा जब भी आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जाएगा, प्रत्येक ऐसी घटना की जाँच संबंधित क्षेत्र पर क्षेत्राधिकारिता रखने वाले कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा की जाएगी तथा पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही, जिसमें किसी भी प्रकृति का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना और/या गिरफ्तारी किया जाना सम्मिलित है, तभी प्रारंभ की जाएगी, जब न्यायिक जाँच के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष प्राप्त हो कि आग्नेयास्त्र का प्रयोग अनावश्यक, अनुचित तथा आधिक्य में था तथा यह और कि ऐसे न्यायिक जाँच प्रतिवेदन को राज्य शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।

2. यह अधिसूचना, मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2026

क्र.–FOR–2–0004–2022–Sec–2–दस.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक–क्र.–FOR–2–0004–2022–Sec–2–दस दिनांक 7 अगस्त 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.

Bhopal the 7th August 2026

No./FOR/2/0004/2022-sec-2-10: **Whereas, the Government of Madhya Pradesh being conscious of the vulnerability of forest land and forest-based resources in forest areas, as well as wildlife in Protected and Reserved Forest areas of the State, considering the mounting threats to their conservation, protection and existence it has decided to arm forest personnel of the State with fire arms;**

And whereas, the Government of Madhya Pradesh is aware that the use of fire arms in discharge of their mandated duty and responsibility, may expose forest personnel to vexatious criminal proceedings and that there is need to provide them immunity from prosecution, without prior sanction;

Now therefore, as per the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in *suo moto* W.P.(C) No. 2 of 2026 and in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and all other enabling provisions in this behalf, the State Government, is hereby pleased to direct that,-

(a) **The provisions contained under sub-section-(2) of section 218 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) shall apply to all the Forest Guards, Foresters, Deputy Forest Range Officers, Forest Range Officers, Assistant Conservators of Forests, Sub-Divisional Forest Officers, Deputy Conservators of Forests, Deputy Directors, Divisional Forest Officers, Regional Chief Conservators of Forests, Field Directors and all other Forest Officers in the State, who are charged with maintenance of public order relating to forest and wildlife protection, conservation and management;**

(b) **Whenever, fire arms are resorted by the forest personnel as mentioned in clause (a) above, each such incident shall be inquired into by an Executive Magistrate having jurisdiction over the area concerned and any proceedings, including institution of a criminal case of any nature and/or effecting an arrest shall be initiated by the Police, only if, as a result of the magisterial inquiry it is held that the use of fire arms has been unnecessary, unwarranted and excessive and further that such magisterial inquiry report has been accepted by the State Government.**

2. **This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJBENDRA MISHRA, Ex-officio Dy Secy.